भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1173

उत्तर देने की तारीख- 11/12/2023

वनों में निवास करने वाली जनजातीय आबादी

†1173. श्री बियुत बरन महतो:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आरक्षित और संरक्षित वनों में रहने वाली जनजातीय आबादी की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन जनजातियों को भूमि प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास प्रस्ताव हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
श्री अर्जुन मुंडा

(क) से (ग): भूमि और उसका प्रबंधन भारत के संविधान [सातवीं अनुसूची - सूची II (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18)] के तहत प्रदान किए गए राज्यों के विशिष्ट विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है

'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों को मान्यता देने और वन भूमि पर कब्जे को निहित करने का प्रयास करता है।

एफआरए की धारा3(1) ततसंबंधी पठित धारा 2(घ) के अनुसार क्रमशः एफआरए की धारा 2 (ग) और 2 (ण) में परिभाषित वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य परंपरागत वन निवासियों (ओटीएफडी) में वन अधिकारों (व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों) को, अवर्गीकृतवन, कम विपणन वाले वन, मौजूदा या भावी (डीम्ड) वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किसी भी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी विवरण की भूमि में मान्यता देने और निहित करने का प्रयास करता है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। एफआरए के तहत राज्य/केंद्र

शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.10.2023 तक प्राप्त दावों, वितरित स्वामित्व और वन भूमि की सीमा जिसके लिए स्वामित्व वितरित किया गया (व्यक्तिगत और सामुदायिक) का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

31.10.2023 तक प्राप्त दावों, वितरित स्वामित्व और वन भूमि की सीमा जिसके लिए स्वामित्व वितरित किया गया (व्यक्तिगत और सामुदायिक) का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या			वितरित अधिकार-पत्रों की संख्या			वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार-पत्र वितरित किए गए (एकड़ में)		
		व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2,84,294	3,294	2,87,588	2,25,826	1,822	2,27,648	4,54,041	5,26,454	9,80,495.00
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
3	बिहार	8,022	एनए/एनआर	8,022	121	0	121	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
4	छत्तीसगढ़	8,83,938	53,920	9,37,858	4,75,100	49,241	5,24,341	9,44,154.80	51,46,193.75	60,90,348.55
5	गोवा	9,758	378	10,136	472	13	485	884.37	18.16	902.53
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	96,559	4,791	1,01,350	1,63,508.86	12,40,680.15	14,04,189.01
7	हिमाचल प्रदेश	4,880	466	5,346	256	59	315	50.92	11,180.74	11,231.66
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	1,53,395.86	1,03,758.97	2,57,154.83
9	कर्नाटक	2,88,549	5,940	2,94,489	14,981	1,345	16,326	20,077.30	36,340.52	56,417.82
10	केरल	44,200	991	45,191	28,641	224	28,865	38,045.62	7,61,489.62	7,99,535.24
11	मध्य प्रदेश	5,85,326	42,187	6,27,513	2,66,901	27,976	2,94,877	9,03,533.06	14,63,614.46	23,67,147.52
12	महाराष्ट्र	3,89,723	11,323	4,01,046	1,98,220	8,400	2,06,620	5,53,960.01	33,01,556.68	38,55,516.70
13	ओडिशा	6,32,326	15,461	6,47,787	4,57,238	7,813	4,65,051	6,70,181.16	3,74,303.02	10,44,484.17
14	राजस्थान	1,11,560	8,478	1,20,038	48,614	2,259	50,873	68,591.34	1,83,091.77	2,51,683.11
15	तमिलनाडु	34,877	2,584	37,461	10,536	531	11,067	9,626.44	एनए/एनआर	9,626.44
16	तेलंगाना	2,04,176	2,808	2,06,984	97,434	102	97,536	3,10,916.00	3,631.00	3,14,547.00
17	त्रिपुरा	2,00,557	164	2,00,721	1,27,931	101	1,28,032	4,65,192.88	552.40	4,65,745.28
18	उत्तर प्रदेश	92,577	1,162	93,739	18,049	861	18,910	19,190.27	1,20,776.00	1,39,966.27
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	0.00	0.00	0.00
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29
21	जम्मू एवं कश्मीर	32,207	10,224	42,431	315	4,190	4,505	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर

एनए/एनआर- संबंधित आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं हैं या रिपोर्ट नहीं किये गये हैं

*****